

50/16

2018/00169

ACMS
Pune

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहटन

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम (2070-73) चिचडासर की जमाबन्दी

संवत्.....2070-73..... खाता संख्या51..... में -

अशुभ नाम वरींगाराम है जबकि शुभ नाम वरसिंगाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक :-

हम कोट्ट शं. भा. पा. रा. डे, 14/02/2018 में, 2070-73 खाते के
दुरुस्ती के लिए वरसिंगाराम को नाम बदलने का आदेश फरमाने के लिए
2070-73 खाते के खाता संख्या 51 के वरींगाराम को शुभ नाम वरसिंगाराम
में बदलने का आदेश फरमाने के लिए वरसिंगाराम को शुभ नाम वरसिंगाराम

जगराम शुभ चिचडासर M.N.-979914678

प्रकाश सं०/१४ दि १४/५/१८

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir,

निवेदन है कि ग्राम चिचडासम में जमाबन्दी संवत् २०७०-७५ में (आ.सं.५) में आधी का नाम वरींगाराम दर्ज है जबकि आधी के माथारु कार्ड में वरसिंगाराम दर्ज है। वरींगाराम की जगह वरसिंगाराम का नाम शुद्ध किये जाने की अनुरोध की जाती है।

11.5.18
पो.चिचडासर

14/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

Sir,

हल्का पटवारी रिपोर्ट सं० १४/५/१८ का रिपोर्ट तहसीलदार चिचडासम (आ.सं.५) पत्रावली संवत् २०७०-७५ में (आ.सं.५) में आधी का नाम वरींगाराम दर्ज है। वरींगाराम की जगह वरसिंगाराम का नाम शुद्ध किये जाने की अनुरोध की जाती है।

✓

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

आदेश

तहसीलदार सेडवा, ICR सेडवा, पटवारी हल्का चिचडासर से धाव जांच रिपोर्ट एवं आधी द्वारा पेश गर्थनापत्र के साथ दस्तावेजों के आधार पर आधी का गर्थनापत्र खोला कर आधी का नाम वरींगाराम के स्थान पर 'वरसिंगाराम' दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का तहसीलदार सेडवा को आदेश दिया जाता है। पत्रावली के अमल शुमार होकर दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी